न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 21/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गेनाराम पुत्र खेताराम जाति भील निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर।		1 भूराराम पुत्र नारणाराम 2 सोनाराम पुत्र बींजाराम जाति भील निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री चैनाराम सारण वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 15/01/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1135/246 रकबा 17.02 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 1092/211 रकबा 05.19 एवं खसरा संख्या 250 रकबा 12.08 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की और से वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने जिस रास्ते की मांग की गई है वहा से कोई रास्ता नही गुजरता है तथा प्रार्थी, अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक भूअ./2019/4566 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थी के मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1135/246 रकबा 17.02 बीघा से कटाण मार्ग तक आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि ग्राम चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 1092/211 रकबा 05.19 एवं खसरा संख्या 250 रकबा 12.08 बीघा में से रास्ते हेतु रकबा उक्त खसरों में से प्रत्येक खसरा में से रकबा 0.06–0.06 बीघा कुल रकबा 0.12 बीघा भूमि बनती है, जो मौके पर खाली है, इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके पर प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित मार्ग से आने–जाने नही दे रहे है। तहसीलदार बाडमेर ने ग्राम चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 1092/211 रकबा 05.19 एवं खसरा संख्या 250 रकबा 12.08 बीघा में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि	प्रस्तावित भूमि ल.X चौ.	बरंग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चवा	भूरा पुत्र नारणा जाति भील सा. देह खातेदार	250	12.08	बा.सो.	60 ग. X 2 ग. = 0.06 बीघा	हरा
2	चवा	सोना पुत्र बीजा जाति भील सा. देह खातेदार	1092/211	05.09	बा.सो.	60 ग. X 2 ग. = 0.06 बीघा	हरा

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर भूमि खाली है। इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है तथा निवेदन किया कि प्रार्थी को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1135/246 रकबा 17.02 बीघा भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1092/211 रकबा 05.19 एवं खसरा संख्या 250 रकबा 12.08 बीघा में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि से कटाण मार्ग तक जाने हेतु ग्राम चवा पटवार क्षैत्र चवा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या खसरा नम्बर 1092/211 रकबा 05.19 में से 0.06 बीघा एवं खसरा संख्या 250 रकबा 12.08 बीघा में से रकबा 0.06 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा दर्शायी है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थीगण भूरा पुत्र नारणा व सोना पुत्र बींजा जाति भील निवासी चवा तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\251 A\order 251.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.28 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: